'नीलाम शर्तें''

प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के कार्यालय के पत्रांक–वाहन–26/वाहन अपलेखन, दिनांक 03.04.2021 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के निष्प्रयोज्य स्कार्पियो वाहन संख्या–UA-07G-4400 (Model 2004) (डीजल) का दिनांक 23.06.2021 को चन्द्रबनी विक्रय डिपो, देहरादून में सार्वजनिक नीलाम के माध्यम से नीलाम किया जाना है। अतः इच्छुक क्रेताओं से अनुरोध है कि नीलाम शर्तो का भली भाँति अवलोकन करने के उपरान्त ही नीलाम में प्रतिभाग करें।

बिक्री स्थल	विवरण
चन्द्रबनी विक्रय डिपो, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून	निष्प्रयोज्य स्कार्पियो वाहन संख्या–UA-07G-4400 (Model 2004) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, अरण्य विकास भवन, 73 नेहरू रोड़, देहरादून के बेसमेंट में खड़ा है। वाहन की नीलामी जहां है जैसा है के आधार पर सम्पादित की जायेगी।

1. वाहन का विक्रय सार्वजनिक नीलाम द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक क्रेता को नीलाम में सम्मिलित होने से पूर्व नियमानुसार डिपो में गेट मनी रू0 2,000/– जमा करना होगा, केवल गेटमनी/जमानत जमा करने वाले क्रेता ही अपने नाम से बोली दे सकते है।
2. नीलाम में बिक्री हेतु रखे गये वाहन एवं उसके कागजात की स्थिति बोली देने से पूर्व ज्ञात करना बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी। वाहन के कागजात की जानकारी श्री शीशपाल, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, कार्यालय–क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र), देहरादून, जिनका मोबाईल न0 9458348902 से प्राप्त की जा सकती है।
3. क्रेता द्वारा बोली देने के उपरान्त वाहन की स्थिति एवं कागजात को लेकर उनकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
4. वाहन का नीलाम सामान्यतः उच्चतम बोली के आधार पर होगा। उत्तराखण्ड वन विकास निगम को ये अधिकार होगा कि उच्चतम अथवा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकता है।
5. क्रेता को नीलाम में भाग लेने हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड नीलाम में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. नीलाम प्रक्रिया स्थगित/निरस्त होने की दशा में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. उच्चतम बोलीदाता/क्रेता को वाहन के विक्रय मूल्य (प्राप्त अधिकतम बोली) का 20 प्रतिशत + जी0एस0टी0 नियमानुसार मौके पर जमा करना होगा।
8. उच्चतम बोलीदाता को वाहन सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सौंपा जायेगा।
9. अनुमोदन पत्र जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर सफल बोलीदाता/क्रेता को वाहन की कीमत एवं उस पर देय समस्त टैक्स जमा करने के पश्चात् ही वाहन की आपूर्ति की जायेगी। निर्धारित अवधि में कीमत जमा न करने पर उच्चतम बोलीदाता की जमानत की धनराशि व उनके द्वारा जमा की गयी 20 प्रतिशत कीमत जब्त कर ली जायेगी, जो उत्तराखण्ड वन विकास निगम के हित में होगा।
10. वाहन क्रय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप न होने या शर्तो का उल्लंघन करने पर सफल बोलीदाता/क्रेता की गेटमनी/जमानत जब्त कर ली जायेगी।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (गढ़वाल मण्डल), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून अर्बिट्रेटर होंगे, जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
12. उच्चतम बोलीदाता/क्रेता द्वारा वाहन को प्राप्त करने से पूर्व वाहन का पंजीकरण संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून में अपने नाम कराना अनिवार्य होगा।

दिनांक 19.06.2021

क्षेत्रीय प्रबन्धक (टिहरी क्षेत्र)
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
देहरादून।

Scanned with CamScanner